कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांकः 295/FP/UK/ROAD/20557/2016:दिनांकदेहरादून, 10 अगस्त, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकाराखण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत कुण्जखाल–बरसुण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.575 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/53/2020/एफ.सी./2324, दिनांक 19.02.2021 के द्वार विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी जिसकी सूचना वन संरक्षक,गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गयी है।

सूचना निम्नानुसार है:–

क्र.सं0	अधिरोपित शर्ते	अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौडी द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जानें के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
3.	प्रतिपूरक वनीकरणः– (क) वन भूमि द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.15 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम कुन्ज खसरा सं0 296 एवं 367 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा।। जहां तक व्यवहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा, तथा प्रजातियो की एकल कृषि से बचें।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगतनीय है कि बिन्दु सं0–3 (क) के अनुपालन में प्रभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.15 हे0 सिविल भूमि ग्राम–कुण्ज खसरा सं0 296 एवं 367 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा, जहां तक व्यवहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा।
ख	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों मे प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/ संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौडी द्वारा अवगतनीय है कि बिन्दु सं0–ख के अनुपालन में जिलाधिकारी, गढ़वाल के आदेश सं0 49/08–भू0अध्य0लि0–भूमि हस्तान्तरण/2022 दिनांक 22.10.2022 के द्वारा ग्राम–कुण्ज की सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/ नामान्तरण की कार्यवाही कर दी गई है। **(संलग्नक–1)**
ग	वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौडी द्वारा अवगतनीय है कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं हुआ है। **(संलग्नक–2)**
घ	रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौडी द्वारा अवगतनीय है कि बिन्दु सं0 घ के अनुपालन मे प्रभाग द्वारा रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरो पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौडी द्वारा अवगतनीय है कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत

9/c

	द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना मे भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है।	प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और रतमन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा करने के लिये सहमत है। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित करने के लिये सहमत है। इस योजना मे भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जाने के लिये सहमत है। (संलग्नक–3)
5	शुद्ध वर्तमान मूल्यः– (क) इस सम्बन्ध मे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 मे आई0ए0 नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 दिनांक (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.575 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगतनीय है कि बिन्दु सं0–5 के अनुपालन में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में आई0ए0 नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 दिनांक (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी निर्देशानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गई है। (संलग्नक–4)
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगतनीय है कि बिन्दु सं0–5(ख) के अनुपालन मे प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक–5)
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 93 वृक्ष से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
7	It is seen that 02 ha area of CA is in MDF, DFO may inspect the area and submit site inspection report mentioning if 1000 trees per hectare can be accommodated or not. If not then the plantation scheme of balance saplings as per guidelines dt 08-11-2017 may be submitted.	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगतनीय है कि 2.00 हैक्टेयर एम0डी0एफ0 क्षेत्र 1000 पौध प्रति हेक्टयेर में वृक्षरोपण हेतु उपयुक्त है, से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–6)
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https:/parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फड में स्थानान्तरित/जमा किए जायेंगे।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एवं एन0पी0वी0 धनराशि कैम्पा कोष में जमा करा दी गई है।
9.	गार्डलाईन्स में दिए गये दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगतनीय है कि वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये आदेश पारित नही किये गये है। आदेश पारित होने पर आपको पृथक से अवगत करा दिया जायेगा।
10.	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन सबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग वचनबद्ध है।

11	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधा की संख्या बढ़ाने के लिये वचनबद्ध है। (संलग्नक–7)
12	संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेंगे।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले आउट प्लान नही बदला जायेगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
15	वन भूमि एव आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरो को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमाकंन किया जायेगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग वचनबद्ध है। (संलग्नक–8)
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव मे विनिर्दिष्ट प्रयोजनो के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियो, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल सं0 11–42/ 2017–एफ.सी. दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
22	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एव वन्य जीवो के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलो पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण मे तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलो को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एव सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगतनीय है कि प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व विर्दिष्ट स्थानों पर मलवा निस्तारण करेगा। सम्बन्धित सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हो तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगतनीय है कि प्रयोक्ता अभिकरण किसी अन्य अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश जो इस प्रस्ताव पर लागू होगा उसकी अनुमति लेने हेतु प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।

25	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in) पर अपलोड की जाएगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगतनीय है कि प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक,गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड़, पौड़ी के द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार :–

1. वन संरक्षक,गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड़, पौड़ी के पत्र संख्या–194/12–1 दिनांक 26.08.2023।
2. सी0ए0 क्षेत्र में किसी भी प्रकार का क्षतिपूरक वृक्षारोपण नहीं किया का प्रमाण पत्र।
3. सर्वेक्षण सीमांकन एवं स्तंभन के व्यय के भुगतान का प्रमाण पत्र।
4. एन0पी0वी0 की चालान का प्रमाण पत्र।
5. एन0पी0वी0की अतिरिक्त धनराशि का वचनाबद्धता प्रमाण पत्र।
6. वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त क्षेत्र का प्रमाण पत्र।
7. सडक के दोंनों किनारों पर पौधों का प्रमाण पत्र।
8. आर0सी0सी0 निलर सीमाकन का प्रमाण पत्र।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक नोड़लअधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड़,देहरादून।

संख्या : 2957 FP/UK/ROAD/20557/2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक,गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।

(आर0के0मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक नोड़लअधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड़,देहरादून।

9/C